संख्या:– 2785 / II–2005–03–(11)/03

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून, दिनांक 29 अगस्त, 2005

विषय:- **स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत योजना की स्वीकृति।**

महादय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 2816/मु0अ0वि0/बजट/बी–1 योजना दिनांक 25.07.2005 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"जनपद हरिद्वार के बहादराबाद विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम आन्नेकी हेतमपुर में दो नये नलकूपों का निर्माण की योजना रू0 74.00 लाख"** (रूपये चौहत्तर लाख मात्र) के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 69.00 लाख (रूपये उन्हतर लाख मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही इस वित्तीय वर्ष में उक्त लागत के विपरीत रू0 34.50 लाख (रूपये चौतीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने की स्वीकृति भी निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :–

1– उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इस योजना के आगणन पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2– उक्त कार्य के निष्पादन में वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर विषयक नियम, मितव्ययता के सम्बन्ध में आदेश एवं शासन द्वारा इस विषय में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन किया जाय।

3– स्वीकृत की जा रही योजना का कार्य समयवद्ध रूप से पूर्ण किया जाय।

4– कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5– आगणन में उल्लिखित दरें जो शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई है कि स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी होंगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुस्त प्राविधान पर कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

9– कार्य करने से पूर्व तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर सिंचाई विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भान्ति निरीक्षण उच्चा अधिकारियों से आवश्य करा ले निरीक्षण के पश्चात स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

11– निर्माण सामग्री प्रयोग में लेने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग कराकर उपयुक्त पायी जाने पर ही सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

12– यह सुनिश्चित किया जाय कि योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को प्राप्त हो।

13– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उभोग दिनांक 31.03.2006 तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा और उक्त अवधि के बाद कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। धनराशि के पूर्ण उपभोग के बाद ही आगामी किस्त अमुक्त की जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 04–नलकूपों का निर्माण आयोजनागत 800–अन्य व्यय, 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान– 00– 24–बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–1380 /XXVII (3) /2005 दिनांक 25 अगस्त, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

2705

संख्याः– /II–2005–03–(11)/03 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरॉचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–3,
3– कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, हरिद्वार उत्तरांचल।
4– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी सिंचाई एवं ऊर्जा उत्तरांचल।
5– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरॉचल शासन।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तरॉचल।
8– बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

290805006